

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- २०४२ / ११-सी-FP/UP/water/155391/2022,, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर १६, 2022

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-हमीरपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला-हमीरपुर में प्रभावित 0.8186 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 581 वृक्षों/पौधों के पातन एवं 1.67 हे० आरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1893 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 2.4886 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2474 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०८/२७३/२०२२/एफ०सी०/७०८, दिनांक 25.11.2022 एवं वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा का पत्रांक-1829/33-1, दिनांक 13.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा के उपरोक्त पत्रांक-1829/33-1, दिनांक 13.12.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- २०४२ / ११-सी-FP/UP/water/155391/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोबा।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

18